FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

कानाराम बनाम शंकरलाल कौरा

किस्म मुकदमा रा० धारा 111,128 RLRAct नं. 65/20 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/03/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत प्रजा. एड० ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/05/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
12/05/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 26/10/2020 को पेश हों। [initials]	
26/10/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 26/04/2021 को पेश हों। [initials]	
26/04/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 04/08/2021 को पेश हो। [initials]	
04/08/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 14/10/2021 को पेश हो। [initials]	

14/10/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों नोटिस तामील बिना तामील किया गया। पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 ड्यूटी में व्यस्त होने से मिसल पेश होकर आगामी दिनांक 25/03/2022 को पेश हो।

25/03/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा विपक्षीगणों के नोटिस मय रजिस्ट्री खर्चा पेश किया गया जो जारी होकर पत्रावली दिनांक 21/04/2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

21/04/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस खर्च के जरिये रजिस्ट्री एडी भिजवाये गये जिनकी डिलेवरी रसीदें प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई, विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 28/04/2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	**हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज**	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

मांक : वाद / 2022 / 529

दिनांक : 28/04/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. बगताराम पुत्र अनोपाराम वगैरा 03, जाति मेघवाल, निवासी मीठिया तला, पटवार मण्डल लीलाला, तहसील बायतु (बाड़मेर)	बनाम	1. शंकरलाल पुत्र खेताराम वगैरा 25, जाति मेघवाल, निवासी मीठिया तला, पटवार मण्डल लीलाला, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 65 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – मीठिया तला, पटवार मण्डल – बायतु पनजी, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 363 रकबा 5.5902 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO)

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
दिनांक : 28/04/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 530-534

प्रतिलिपि– निम्न **को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री बगताराम पुत्र अनोपाराम वगैरा 03,
4. विप्रार्थी श्री शंकरलाल पुत्र खेताराम वगैरा 25,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु